न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/05

1. रामनारायण आत्मज रोडू मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1–भूलीबाई पत्नि स्व0 रामनारायण
   1/2–गोपाल आत्मज गंगा बिशन जाति माली
   निवासीगण कुन्हाडी, कोटा राज0

– अपीलांटगण

बनाम

1. रामचन्द्र आत्मज छोटूलाल जाति गूर्जर मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/1 भंवरीबाई पत्नि स्व0 रामचन्द्र
   1/2–रंगलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
   1/3–बिरधीलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
   1/4–परमानन्द पुत्र स्व0 रामचन्द्र
   1/5–विनोद पुत्र स्व0 रामचन्द्र
   जाति गूर्जर निवासी हथाई का चौक सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
   1/6–अयोध्याबाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र
   1/7–सज्जन बाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र
   1/8–चन्द्रकला पुत्री स्व0 रामचन्द्र
   जाति गूर्जर निवासीगण सकतपुरा, कोटा
   सत्यनारायण मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/9–मनीष पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   1/10– दिनेश पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   1/11–नंदजी पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   1/12–चन्द्रकान्ता पुत्री स्व0 सत्यनारायण
   1/13–राजेश पुत्री स्व0 सत्यनारायण
   जाति गूर्जर निवासीगण हथाई का चौक सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0
3. नरेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्रीनाथ खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी डी–15, वल्लभबाड़ी, कोटा राज0।

अपील संख्या 2025/05

रामनारायण मृतक जर्ये का.मु. भूलीबाई वगै. बनाम रामचन्द्र मृतक जर्ये का.मु. भंवरी बाई वगै.

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस—1. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक 27.10.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 128/2001(gcms no. 2001/00095) मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादीगण के खाते की आराजियात खसरा नं० 105 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं0 106 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 107 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल 03 किता की 10 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा कोटा में स्थित है। वादीगण का वाद में यह भी कथन है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के खाते की उक्त तीनों आराजियात का नया खसरा नं० 86 कायम कर रकबा 1.66 है० दर्ज किया है. जबकि वादीगण की आराजी का रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा यानि 1.69 है० होता है, इस प्रकार प्रतिवादी नं० 02 के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के खाते में 0.03 है० आराजी कम की है। वादीगण का वाद में यह भी कथन है कि वादीगण की उक्त आराजी के संदर्भ ही प्रतिवादी नं0 01 के खाते की आराजी ख0नं0 113 रकबा 06 बिस्वा आराजी स्थित है. सेटलमेन्ट उपरान्त प्रतिवादी नं0 01 ने इस आराजी का नया ख०नं० 85 कायम कर रकबा 0.09 है० कायम किया है, जबकि गत रेकार्ड के अनुसार प्रतिवादी नं0 01 की आराजी 0.6 बिस्वा यानि 0.05 है ही थी, इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा वादीगण की 0.03 है० आराजी कम कर, इस कम की गयी आराजी को प्रतिवादी नं. 01 के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है। वादीगण का वाद में यह भी कथन है कि वादी को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वादी इस आदरणीय न्यायालय की मदद से रेवेन्यु रिकार्ड में संशोधन करवाते हुए ख०नं० 86 रकबा 1.66 है० के स्थान पर 1.69 है० दर्ज करवाये तथा प्रतिवादीण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2024 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाने में त्रुटि की है। तनकी संख्या–1 में वादीगण/अपीलान्ट के खाते की अराजीयात खसरा नम्बर–105 रकबा 03 बिस्वा, 106 की 06 बीघा 15 बिस्वा, 107 की 03 बीघा 12 बिस्वा कुल–03 की 10 बीघा 10 बिस्वा ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा में स्थित है। जिसमें वादीगण द्वारा मिलान क्षेत्रफल की नकल एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई, नामान्तरणकरण प्रदर्श पी–1 तथा मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रदर्श पी–2, जमाबंदी प्रदर्श–पी–3, वादी रामचन्द्र के खाते की नकल प्रदर्श पी–4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–पी–5 आदि पेश की तथा अपने दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से स्पष्टतः रामनारायण भूली बाई के खाते में खसरा नम्बर–105, 106, 107, 108 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा का विवरण लेकर ही उपस्थित हुए हैं। जबकि नामान्तरणकरण संख्या–206 दिनांक 16.02.1985 जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल से यह प्रमाणित कर दिया था कि मोहसीन हुसैन व अन्य के खाते में खसरा नम्बर–105, 106, 107, 108 कुल किता 4 रकबा 10 खाते दर्ज हुई है। इस बात का प्रमाण होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद निरस्त करने में भारी कानूनी त्रुटि की है। तहसीलदार कानूनगो की रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है जिसमें खातेदार रामनारायण की जमाबंदी में खसरा नम्बर–105 की रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर–106 की 6 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा नम्बर–107 की 3 बीघा 12 बिस्वा कुल 3 किता की 10 बीघा 10 बिस्वा आराजी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। जिसमें खसरा नम्बर–86 का कुल रकबा 1.66 हेक्टेयर है जिसमें 0.04 हेक्टेयर कम कर दी गई है। जबकि तहसीलदार की न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नम्बर–86 की 1.66 हेक्टेयर के स्थान पर 1.69 हेक्टेयर रकबा था जिसे 0.04 हेक्टेयर कम करके प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट क्रम–3 नरेन्द्र खण्डेलवाल के खाते दर्ज कर दी

जबकि अपीलान्ट के खाते की आराजी 1.69 हेक्टेयर होती है। जिसका नया नम्बर खसरा नम्बर–86 कायम किया गया था। जो 1.00 हेक्टेयर दर्ज किया गया इस प्रकार 0.03 हेक्टेयर आराजी अपीलान्ट की कम दर्ज कर रेस्पोडेन्ट क्रम–3 के खाते अंकित कर दी। उपरोक्त सभी तथ्य प्रमाणित होते हुऐ भी विचारण न्यायालय ने दस्तावेजात पर गौर किए बिना निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट की 169 हेक्टेयर आराजी पर विधिवत काबिज है तथा अपीलान्ट कायम मुकामान गोपाल आत्मज गंगाबिशन के खाते में खसरा नम्बर–86 की केवल मात्र 0.21 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बता कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही अपीलान्ट के पक्ष में खसरा नम्बर–86 वाके ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा का रकबा 1.66 हेक्टेयर के स्थान पर रेस्पोडेन्ट क्रम–3 के खाते से 0.03 हेक्टेयर भूमि ली जाकर 1.69 हेक्टेयर किये जाने एवं तद्नुसार रेवेन्यु रिकोर्ड में इन्द्राज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर–105 की रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर–106 की 6 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर–107 की 3 बीघा 12 बिस्वा कुल 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि मोहसीन हुसैन, साबिर हुसैन, हाथिम अली, सुजाउद्दीन आत्मज अहसास हुसैन जाति बोहरा की खातेदारी की रही है। उक्त मोहसीन हुसैन वगैरह की खातेदारी में उक्त खसरा नम्बर–105 की रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर–106 की 6 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर–107 की 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी के अलावा अन्य खसरा नम्बर–108 की 5 बिस्वा कुल 10 बीघा 15 बिस्वा आराजी तथा खसरा नम्बर–101 की 2 बीघा 19 बिस्वा आराजी दर्ज रही है। उक्त मोहसीन हुसैन वगैरह द्वारा वादीगण अपीलांटगण खसरा नम्बर–105, 106, व 107 के साथ–साथ खसरा नम्बर–108 की आराजी तथा खसरा नम्बर–101 की 2 बीघा 19 बिस्वा आराजी भी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र वादीगण अपीलांटगण को बैचान की गयी है और मोहसीन हुसैन वगैरह की उक्त खसरा नम्बर–105, 106, 107, 108 व खसरा नम्बर–101 की भूमि बाद बैचान जरिये इन्तकाल वादीगण की खातेदारी में दर्ज हुई। किन्तु वादीगण अपीलांटगण द्वारा अपने वाद–पत्र में केवल खसरा नम्बर–105, 106, 107 की भूमि के ही रकबे का उल्लेख किया है। वादीगण अपीलांटगण द्वारा चालाकी से व स्वयं को लाभान्वित करने की गरज से खसरा नम्बर–108 व खसरा नम्बर–101 की भूमि का उल्लेख नहीं किया है, जिसके कारण यह नही कहा जा सकता कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण अपीलांटगण की आराजी का कोई रकबा कम कर त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खाते की आराजी में दर्ज किया हो। वादीगण अपीलांटगण द्वारा अपने वाद–पत्र में समीपस्थ हाल खसरा नम्बर–87, 88, 83, 80, 81, 82 व नहर व नाले की भूमि का कोई भी उल्लेख अपने वाद–पत्र में नही किया है। वास्तविकता यह है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट अगर कोई त्रुटि की गयी

है, तो वह नहर व नाले के बीच की दूरी के रकबे में व खसरा नम्बर–87, 88, 83, 80, 81, 82 के रकबे में तथा वादी अपीलांट स्वयं के गत खसरा नम्बर–101 व 108 में की गयी है और वादीगण अपीलांटगण का अगर कोई रकबा कम हुआ है, तो वह वास्तविक रूप से उक्त खसरा नम्बर–87, 88, 83, 80, 81, 82 व नहर एवं नाले की भूमि में तथा स्वयं के अन्य खसरा नम्बर–101 व 108 मेंदर्ज किया गया है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम–1 के खाते में वादी अपीलांट का कोई भी कमी रकबा दर्ज नही किया गया है, जिसके कारण वादीगण अपीलांटगण, प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की खाते की भूमि से कम रकबे की पूर्ति करवाने अथवा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण अपीलांटगण के कायम मुकामान गोपाल आत्मज गंगाबिशन के खाते में वर्तमान में खसरा नम्बर–86 की केवल मात्र 0.21 है0 भूमि में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, शेष भूमि बैचान की जा चुकी है, जिसके कारण वादी अपीलांट को उक्त वाद का कोई भी वाद कारण शेष नही रहा है और भूमि का बैचान कर दिये जाने के कारण वादी कमी रकबे की पूर्ति करवाने व इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का अधिकारी नही रहा है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 के पूर्वज छोटू पुत्र देवा गुर्जर के खाते में कुल तीन किता की 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित रही है, जिसमें से 1 बीघा नहर में जाने के पश्चात 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि शेष रही है। और सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रतिवादी नम्बर–1 की खातेदारी की आराजी का रकबा किसी प्रकार से अधिक दर्ज नही किया है, जिसके कारण भी वादी, प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते की भूमि एवम बाद खरीद प्रतिवादी नम्बर–3 के खाते की भूमि से कोई भी इन्द्राज दुरूस्ती करवाने अथवा कमी रकबा पूर्ति करवाने का अधिकारी नही है। खसरा नम्बर–30 की रकबा 0.51 है०, खसरा नम्बर–84 की 0.4100 है०, खसरा नम्बर–85 की 0.090 है० कुल तीन किता की 1.100 हैक्टयर वाकै ग्राम सकतपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा को प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा पूर्णतया सदभाविक रूप से उक्त आराजी के पूर्व रेकॉर्डेड खातेदार राचमन्द्र व उसके वारिसान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र वैधानिक रूप से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–3 की उक्त खसरा नम्बर–84, 85 की आराजी से वादीगण अपीलांटगण कोई भी कमी रकबा की पूर्ति करवाने के अधिकारी नही है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–3 अपनी रेकॉर्डेड खातेदारी की उक्त भूमि पर शांतीपूर्वक कब्जे काश्त चला आ रहा है। वादीगण अपीलांटगण का प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 की भूमि खसरा नम्बर–84 व 85 पर कोई भी कब्जा काश्त नही है, जिसके कारण कब्जे के अभाव में वादीगण अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वाद कानूनन मेन्टेनेबल नही है और कब्जे के अभाव में वादीगण अपीलांटगण, प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–3 के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी अधिकारी नही है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–3 सद्भाविक खरीददार है और प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–3 को पूर्व में उक्त वाद के विचाराधीन होने की कोई भी जानकारी नही रही है और सद्भाविक खरीददार के विरूद्ध वादीगण अपीलांटगण कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया गुणावगुण विहिन, व्यर्थ व केवल मात्र विधि व प्रक्रिया का दुरूपयोग करने वाला होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–3 का उक्त वाद से कोई भी सम्बंध नहीं

है, किन्तु फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को परेशान करने के दुराशय से प्रस्तुत वाद में पक्षकार कायम किया गया है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद एवं अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 86 रकबा 1.66 हैक्टेयर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जाकर रकबा 1.66 हैक्टेयर के स्थान पर 1.69 हैक्टेयर दर्ज किए जाने तथा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है। वादीगण अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी के गत खसरा संख्या 105 रकबा 3 बिस्वा, 106 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, 107 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा थे तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त तीनो खसरा नम्बरान का नया खसरा सख्या 86 रकबा 1.66 हैक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि वादीगण अपीलांटगण की आराजी का गत रकबे 10 बीघा 10 बिस्वा के अनुसार नया रकबा 1.69 हैक्टेयर कायम किया जाना आवश्यक था। वादीगण अपीलांटगण के कथनानुसार उनके खाते की भूमि का नवीन रकबा गत रकबे की तुलना में 0.03 हैक्टेयर कम किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के खाते की भूमि खसरा सख्या 85 रकबा 0.09 हैक्टेयर में त्रुटिपूर्ण रूप से शामिल कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–पी–6A पंजीकृत बैयनामा दिनांक 15.09.1982(पंजीयन दिनांक 24.10.1980) के अनुसार वाके ग्राम सकतपुर तहसील लाडपुरा की खसरा सख्या 105 रकबा 3 बिस्वा, 106 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, 107 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि को खातेदार मोहसीन हुसैन पुत्र शाकिर हुसैन द्वारा भूली बाई पत्नी राम नारायण को विक्रय किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038 से 2057 के अनुसार गत खसरा सख्या 105, 106, 107 के नवीन खसरा सख्या 86 रकबा 1.66 हैक्टेयर बने है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण पंजिका ग्राम सकतपुर के अनुसार नामान्तकरण संख्या 206 दिनांक 16.02.1985 के द्वारा वाके ग्राम सकतपुर तहसील लाडपुरा की खसरा सख्या 105 रकबा 3 बिस्वा, 106 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, 107 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 108 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मोहसिन हुसैन पुत्र शाकिर हुसैन के स्थान पर रामनारायण पुत्र रोडू व भूली बाई पत्नी रामनारायण का नाम दर्ज किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2016 से 2024 के अनुसार वाके ग्राम सकतपुर तहसील

लाडपुरा की खसरा संख्या 112 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 113 रकबा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 125 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि छोटू बैटा देवा जात गूजर सा. देह की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2016 से 2024 के अनुसार वाके ग्राम सकतपुर तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 105 रकबा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 106 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 107 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 108 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि बख्तावर बैटा लछमन जाति माली सा. देह की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण अपीलांटगण द्वारा स्वयं के खाते की प्रश्नगत खसरा संख्या 105, 106 व 107 का जो मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038 से 2057 प्रस्तुत किया है, उसके अवलोकन से वादीगण अपीलांटगण का रकबा गत रकबे की तुलना में 0.04 हैक्टेयर कम दर्ज होना प्रकट होता है। अतः वादीगण अपीलांटगण का यह कथन सही है कि उनके खाते की गत खसरा संख्या 105, 106 व 107 किता 3 की भूमि भू–प्रबन्ध के पश्चात कायम किए गए नवीन खसरा सख्या 86 रकबा 1.66 हैक्टेयर का रकबा गत रकबे की तुलना में कम दर्ज किया गया है। परन्तु वादीगण अपीलांटगण के खाते में भू–प्रबन्ध से पूर्व खसरा सख्या 105, 106 व 107 के अलावा खसरा सख्या 108 रकबा 5 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड रही है तथा भू–प्रबन्ध के पश्चात कायम किए गए खाते में जमाबंदी सम्वत् 2057 से 2060 के अनुसार खसरा सख्या 86 रकबा 1.66 हैक्टेयर के अलावा खसरा सख्या 80 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 87 रकबा 0.47 हैक्टेयर की भूमि भी दर्ज हुई है। वादीगण अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में केवल खसरा सख्या 86 रकबा 1.66 हैक्टेयर के कमी रकबे को आधार बनाया गया है। वादीगण अपीलांटगण के खाते में जमाबंदी सम्वत् 2057 से 2060 के अनुसार खसरा सख्या 80, 87 व 86 कुल किता 3 कुल रकबा 2.17 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु वादीगण अपीलांटगण द्वारा अपने खाते में दर्ज खसरा सख्या 80 व खसरा सख्या 87 का कोई मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में वादीगण अपीलांटगण के खाते में भू–प्रबन्ध से पूर्व दर्ज कुल भूमि के रकबे का भू–प्रबन्ध के पश्चात वादीगण के खाते में दर्ज की गई कुल भूमि के रकबे से मिलान किया जाना संभव नहीं है। वादीगण अपीलांटगण द्वारा अपने कमी रकबे के सम्बंध में जो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर वादीगण अपीलांटगण का कम किया गया रकबा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र आत्मज छोटूलाल के खाते में शामिल किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। अतः हमारे मत में वादीगण अपीलांटगण स्वयं के तथाकथित कमी रकबे को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज किए जाने के कथन को दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित करने में असफल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.11.2024 में जो तनकीवार विवेचन करते हुए जो निष्कर्ष अंकित किया गया है उससे हम सहमत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 128/2001 (gcms no. 2001/00095) मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2024 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/x/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025/05

1. रामनारायण आत्मज रोडू मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1–भूलीबाई पत्नि स्व0 रामनारायण
   1/2–गोपाल आत्मज गंगा बिशन जाति माली
   निवासीगण कुन्हाडी, कोटा राज0

– अपीलांटगण

बनाम

रामचन्द्र आत्मज छोटूलाल जाति गूर्जर मृतक जर्ये कायम मुकामान–
1/1 भंवरीबाई पत्नि स्व0 रामचन्द्र
1/2–रंगलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
1/3–बिरधीलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
1/4–परमानन्द पुत्र स्व0 रामचन्द्र
1/5–विनोद पुत्र स्व0 रामचन्द्र
जाति गूर्जर निवासी हथाई का चौक सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
1/6–अयोध्याबाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र
1/7–सज्जन बाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र
1/8–चन्द्रकला पुत्री स्व0 रामचन्द्र
जाति गूर्जर निवासीगण सकतपुरा, कोटा
सत्यनारायण मृतक जर्ये कायम मुकामान–
1/9–मनीष पुत्र स्व0 सत्यनारायण
1/10– दिनेश पुत्र स्व0 सत्यनारायण
1/11–नंदजी पुत्र स्व0 सत्यनारायण
1/12–चन्द्रकान्ता पुत्री स्व0 सत्यनारायण
1/13–राजेश पुत्री स्व0 सत्यनारायण
जाति गूर्जर निवासीगण हथाई का चौक सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0
3. नरेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्रीनाथ खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी डी–15, वल्लभबाड़ी, कोटा राज0।

–रेस्पोडेन्टगण

संख्याः 128/2001(gcms no. 2001/00095)

1. रामनारायण आत्मज रोडू मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1–भूलीबाई पत्नि स्व0 रामनारायण
   1/2–गोपाल आत्मज गंगा बिशन जाति माली
   निवासीगण कुन्हाडी, कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र आत्मज छोटूलाल जाति गूर्जर मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/1 भंवरीबाई पत्नि स्व0 रामचन्द्र
   1/2–रंगलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
   1/3–बिरधीलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
   1/4–परमानन्द पुत्र स्व0 रामचन्द्र
   1/5–विनोद पुत्र स्व0 रामचन्द्र
   जाति गूर्जर निवासी हथाई का चौक सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
   1/6–अयोध्याबाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र
   1/7–सज्जन बाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र
   1/8–चन्द्रकला पुत्री स्व0 रामचन्द्र
   जाति गूर्जर निवासीगण सकतपुरा, कोटा
   सत्यनारायण मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/9–मनीष पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   1/10– दिनेश पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   1/11–नंदजी पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   1/12–चन्द्रकान्ता पुत्री स्व0 सत्यनारायण
   1/13–राजेश पुत्री स्व0 सत्यनारायण
   जाति गूर्जर निवासीगण हथाई का चौक सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0
3. नरेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्रीनाथ खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी डी–15, वल्लभबाड़ी, कोटा राज0।

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 128/2001(gcms no. 2001/00095) में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.11.2024 की अपील न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 27.10.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री दीनानाथ गालव, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 128/2001(gcms no. 2001/00095) में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.11.2024 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 27.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

27/10/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा